

		धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025
2	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के निर्धारण के लिए आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित होता है, यह मानते हुए कि सूचना उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।	उक्त अधिनियम की धारा 73के अधीन कर का पुनर्निर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से छह माह पूरे होने पर समाप्त होने वाली तारीख।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 21/2024—Central Tax

S.O. 4372(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 128A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the respective date specified in Column (3) of the Table below, as the date upto which payment for the tax payable as per the notice, or statement, or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the said section, as the case may be, can be made by the class of registered person specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Class of registered person	Date upto which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, as the case may be, can be made for waiver of interest, or penalty, or both, under the said section.
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons to whom a notice or statement or order, referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, has been issued.	31.03.2025
2	Registered persons to whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, in respect of the period referred to in sub-section (1) of section 128A of the said Act, and an order is passed or required to be passed by the proper	Date ending on completion of six months from the date of issuance of the order by the proper officer redetermining tax under section 73 of the said Act.

	officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority, or Appellate Tribunal, or a court, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, for determination of the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of the said Act.	
--	---	--

2. This notification shall come into effect from the 1st day of November, 2024.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

सं. 22/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 4373(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, जिसका पालन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा किया जाना है, जिनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्ययका गलत लाभ उठाने की मांग की पुष्टि की गई है, किंतु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाईल नहीं की गई है, आदेश के सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है अर्थात्:-

2. उक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन फाईल करेगा, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार अब उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई है।

3. उक्त व्यक्ति, उक्त आवेदन के साथ, इस अधिसूचना के **उपाबंध क** में दिए गए प्रारूप में जानकारी अपलोड करेगा।

4. उक्त आदेश के सुधार को लागू करने के लिए उचित अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसने ऐसा आदेश जारी किया था, और उक्त प्राधिकारी उक्त आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उक्त आवेदन की तारीख से, जहां तक संभव हो, तीन महीने की अवधि के भीतर सुधारा हुआ आदेश जारी करेगा।

5. जहां पैरा 1 में निर्दिष्ट आदेश में कोई सुधार किया जाना अपेक्षित है, उक्त प्राधिकारी ने उसका सुधारित आदेश जारी कर दिया है, तो उक्त प्राधिकारी सुधारित आदेश का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा –

(i) प्रारूप जीएसटी डीआरसी-08 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है; और

(ii) प्रारूप जीएसटी एपीएल-04 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है।

6. सुधार केवल ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की मांग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, जो की कथित तौर पर उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन कर गलत रीति से प्राप्त किया गया है, किन्तु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त धारा 16 की उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है।

7. जहां ऐसे सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।